

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 45 सन 2022

अनवान :-

1. रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 04/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा निमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही रोही मौजा निमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा निमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

(22)

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास दर्ज है राहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे परोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार का ऐतराज नहीं होने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं परोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर  
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/१२२। दिनांक :- 05/07/2021

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 45/2022 अनवानी रामचन्द्र बनाम सरकार में पारित  
निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-  
1. रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील  
नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला  
हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 45/2022 अनवानी रामचन्द्र बनाम  
सरकार में दिनांक 06/07/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि में प्रार्थी  
के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र रेवन्तदास संशोधन किये जाने  
आदेश पारित किये गये हैं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर